[2021] 6 एस. सी. आर. 4

पुलिस आयुक्त

वी.

राज कुमार

(2021 की सिविल अपील संख्या 4960)

25 अगस्त, 2021

[के. एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

सेवा कानून-भर्ती-सार्वजनिक रोजगार-दिल्ली

सिपाही का पुलिस पद-स्थायी आदेश No.398/2010 आपराधिक मामलों में शामिल दिल्ली पुलिस में अस्थायी रूप से चुने गए उम्मीदवारों के मामलों को तय करने के लिए नीति (मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है या बरी)

चयन प्राधिकरण/जांच समिति ने उत्तरदाता उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने आपराधिक कार्यवाही का सामना किया था कैट ने उत्तरदाताओं के आवेदनों की अनुमति दी-लिखित याचिकाएं

-

उच्च न्यायालय का निर्देश कि प्रतिवादियों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए-आयोजितः न्यायोचित नहीं-लागू स्थायी आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया कि कुछ अपराधों के संबंध में, एक अभियुक्त उम्मीदवार को बरी या दोषमुक्त करने से, प्रति व्यक्ति

उसे सार्वजनिक सेवा पर विचार करने का अधिकार नहीं देता है-किसी भी अन्य की तरह, पूर्व-यह मानता है कि राज्य नियोक्ता के पास एक तत्व है

अक्षांश या चयन कि किसे इसकी सेवा में प्रवेश करना चाहिए-मानदंड, सिद्धांतों के आधार पर, योग्यता जैसे आवश्यक पहलुओं को नियंत्रित करते हैं,

अनुभव, आयु, उम्मीदवार के लिए अनुमत प्रयासों की संख्या, आदि-न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमत है कि वे मानदंड निष्पक्ष और उचित हैं, और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से लागू होते हैं।

हालांकि, उपयुक्तता पूरी तरह से अलग है; स्वायत्तता या विकल्प।

- जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो अवैध है, न ही अनुचित है, और न ही उसमें ईमानदारी की कमी है, तब तक सार्वजनिक नियोक्ता की स्थिति सबसे बड़ी है।

उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सामान्य पर संकेत देता प्रतीत होता है

व्यवहार की स्वीकार्यता जिसमें छोटे अपराध या दुराचार शामिल हैं-इस तरह के सामान्यीकरण, जिससे अपराधी के आचरण को माफ किया जाता है, न्यायिक निर्णय में प्रवेश नहीं करना चाहिए और

बचने के लिए प्रत्येक मामले की जांच की जानी चाहिए

संबंधित सार्वजनिक नियोक्ता, अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से-अधिक तो, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो अधीन हैं

व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने का कर्तव्य, क्योंकि उनकी क्षमता

जनता में विश्वास पैदा करना समाज की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है।

4 पुलिस आयुक्त v. राज कुमार

सेवा कानून सार्वजनिक रोजगार-भर्ती /

नियुक्ति-न्यायिक समीक्षा-दायरा-आयोजितः न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पद या पद के लिए किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं-द्वेष या द्वेष के साक्ष्य का अभाव।

लापरवाही (सामग्री के लिए), या सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा अवैधता, इस बात की गहन जांच कि किसी उम्मीदवार को अनुपयुक्त के रूप में क्यों बाहर रखा गया है, अदालत के फैसले को अतिक्रमण के आरोप में संदिग्ध बनाता है।

किसी व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने की कार्यकारी शक्ति

नियुक्ति।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . दिल्ली पुलिस में अस्थायी रूप से चुने गए उम्मीदवारों के मामलों को तय करने के लिए स्थायी आदेश No.398/2010 नीति

आपराधिक मामलों में शामिल होना (मुकदमे का सामना करना पड़ना या बरी होना) इस मामले में उचित निर्णय के लिए प्रासंगिक है। नीति के अनुलग्नक ए में नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों को संदर्भित किया गया है। का खंड 3

इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। यह समिति मूल्यांकन करती है उम्मीदवार '(पहले एक अपराध के लिए फंसाया गया है, लेकिन जिनके खिलाफ आरोप किसी भी कारण से समाप्त कर दिए गए हैं), नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। खंड 6 में निर्धारित किया गया है कि जिन उम्मीदवारों का सामना करना पड़ा

गंभीर अपराधों या नैतिक अपराधों से जुड़े आरोप

अधमता और जिन्हें बाद में संदेह का लाभ देते हुए या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रतिशोध के डर से गवाहों के मुकर जाने के कारण बरी कर दिया जाता है, उन्हें आम तौर पर उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

सरकारी सेवा के लिए। ऐसे प्रत्येक मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचालित जांच समिति द्वारा विचार किया जाना है। यह है।

लागू स्थायी आदेश के साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है अनुलग्नक-ए के साथ कि कुछ अपराधों के संबंध में, दोषमुक्त या

2. न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पद या पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। द्वेष या मूर्खता (सामग्री के लिए) का कोई सबूत नहीं है, या सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा अवैधता, एक उम्मीदवार को अनुपयुक्त के रूप में क्यों बाहर रखा गया है, इस पर एक गहन जांच अदालत के फैसले को कार्यकारी शक्ति में अतिक्रमण के आरोप के लिए संदिग्ध बनाती है

नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण करना। [पैरा 26] [20-डी-ई] [2021] 6 एस. सी. आर.

3. लोक सेवा-किसी भी अन्य की तरह, पूर्व-मानती है कि

राज्य नियोक्ता के पास अक्षांश या विकल्प का एक तत्व है कि किसे इसकी सेवा में प्रवेश करना चाहिए। सिद्धांतों पर आधारित नियम, शासन करते हैं

सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार या आवेदक के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों का गठन करता है। न्यायिक समीक्षा, के तहत संविधान, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमत है कि वे मानदंड निष्पक्ष और उचित हैं, और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से लागू होते हैं। हालाँकि, उपयुक्तता पूरी तरह से अलग है; सार्वजनिक नियोक्ता की स्वायत्तता या पसंद सबसे बड़ी है, जब तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो अवैध, अनुचित, या प्रामाणिकता की कमी है। [पैरा 29] [22-सी-ई]

4. उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, इसके दृष्टिकोण से स्पष्ट है

युवाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में टिप्पणियां दिखाई देती हैं।

व्यवहार की सामान्य स्वीकार्यता पर संकेत देना जिसमें छोटे अपराध या दुराचार शामिल हैं। विवादित आदेश एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देता है, कि युवाओं की उम्र और ग्रामीण परिवेश को देखते हुए इस तरह के दुराचार को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस अदालत की राय है कि इस तरह के सामान्यीकरण,

अपराधी के आचरण की क्षमा, न्यायिक निर्णय में प्रवेश नहीं करनी चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। कुछ प्रकार के अपराध, जैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़, या अतिचार और पिटाई, हमला, ग्रामीण परिवेश में पीड़ितों को चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना (हथियारों के उपयोग के साथ या बिना), जाति या पदानुक्रम-आधारित व्यवहार का संकेत भी हो सकता है। प्रत्येक मामले की जांच संबंधित सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा, अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से की जानी है-विशेष रूप से, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के कर्तव्य के तहत हैं, क्योंकि जनता में विश्वास पैदा करने की उनकी क्षमता समाज के लिए एक सुरक्षा कवच है।

सुरक्षा। [पैरा 30] [22-एफ-एच]

5. आम विवादित निर्णय और कैट के आदेश, अपीलार्थी द्वारा जारी आदेशों को रद्द करते हुए, अस्वीकार करते हुए

प्रत्यर्थी उम्मीदवारों की नियुक्ति, इसके द्वारा अलग रखी जाती है।

[पैरा 31] [23-ए]

पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्र बनाम मेहर सिंह, (2013) 7 एससीसी 685: [2013] 13 एस. सी. आर. 432; अवतार कमिश्नर ऑफ पुलिस v.

राज कुमार

सिंह बनाम। यू. ओ. आई. और अन्य, (2016) 8 एस. सी. सी. 471: [2016] 7

एससीआर 445; जोगिंदर सिंह बनाम। केंद्र शासित प्रदेश

एस. सी. आर. 155; केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन & ओआरएस वी। प्रदीप कुमार और अन्र। , (2018) 1 एससीसी 797:

[2018] 1 एस. सी. आर. 112; अनिल भारद्वाज बनाम का उच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश, (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन (एस. सी.) 832; एम.

थिमैया वी। संघ लोक सेवा आयोग, (2008)

2 एससीसी 119 [2007] 13 एससीआर 624; दलपत बाबासाहेब सोलुंके बनाम डॉ. बी. एस. महाजन, (1990) 1 एस. सी. सी. 305;

संघ लोक सेवा आयोग बनाम एम. साथिया प्रिया,

(2018) 15 एस. सी. सी. 796 [2018] 6 एस. सी. आर. 701-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 13 एससीआर 432

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[2016] 7 एससीआर 445

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4

[2014] 11 एससीआर 155

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2018] 1 एससीआर 112

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2007] 13 एससीआर 624

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

(1990) 1 एससीसी 305

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[2018] 6 एससीआर 701

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4

2021 से।

एच के 05.12.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

20 की लिखित याचिका (सी. वी. आई.) No.4308 में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय

के साथ

सिविल अपील सं। 4961 , 4963 और 2021 का 4962
सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., पी. वी. योगेश्वरन, कमलेंद्र मिस

संजय कुमार विसेन, बी. वी. बलराम दास अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए

अनिल सिंघल, प्रशांत भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज, अभ्यूसु

गुप्ता, विक्रम सिंह जाखर, अरविंद कुमार गुप्ता, सुधीर ना सिद्धार्थ खटाना, मनोहर नागर, योगिंदर सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. छुट्टी दे दी गई। पुलिस आयुक्त, दिल्ली ("अपीलार्थी") अपील में है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सामान्य फैसले से व्यथित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी (जिसे इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है)

" उम्मीदवारों/आवेदकों) को दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया था।

उनकी उम्मीदवारी पर विचार करते हुए, और एस. ओ. No.398/2010 के संदर्भ में, अपीलार्थी ने उनके मामलों को उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक स्थायी समिति को भेज दिया। दीपा तोमर के मामले में, विचार को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि वह आपराधिक कार्यवाही में मुकदमे का सामना कर रही थी जहां वह थी आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपहरण का अपराध करने का आरोप। विभिन्न आदेशों द्वारा, जिन्हें अलग-अलग कार्यवाहियों में आरोपित किया गया था

उम्मीदवारों द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने उम्मीदवारों के आवेदनों की अनुमति दी, उनकी याचिकाओं को बरकरार रखा, और जांच समितियों के आदेशों को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कैट के सभी आदेशों पर आपत्ति जताई गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलार्थी की याचिकाओं को खारिज करने वाले सामान्य विवादित आदेश द्वारा उनसे निपटा गया और उन पर विचार किया गया।

दिमाग के गैर-अनुप्रयोग के कारण और आगे आदेश यांत्रिक तरीके से किए गए थे। विवादित आदेश द्वारा, खंड पीठ ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थियों की उम्मीदवारी की अस्वीकृति को रद्द कर दिया। 4. अपीलार्थी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) सुश्री माधवी दीवान ने आग्रह किया है कि विवादित निर्णय गलत है क्योंकि खंड पीठ हार गई है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थायी आदेशों को पुलिस आयुक्त v के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

राज कुमार [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अधिकारियों को उन आवेदकों का चयन करने के लिए मजबूर करना जिनका आचरण जांच समिति की राय में संतोषजनक नहीं था। अपीलार्थी पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और अन्र बनाम मेहर सिंह में इस न्यायालय के फैसलों के साथ-साथ अवतार सिंह बनाम में न्यायालय के फैसले में तीन न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियों पर निर्भर करता है। यूओआई और ओआरएस 2.

तैयार किया गया जिसके बाद उनके खिलाफ मामले एक समझौते में समाप्त हो गए। सुश्री दीपा तोमर के मामले में उम्मीदवार पर न केवल आरोप लगाया गया था, बल्कि उस पर अपहरण का अपराध करने का भी आरोप लगाया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया लेकिन अपर्याप्त सबूतों के आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि उम्मीदवारों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपराध किया था और मामलों के परिणाम के आधार पर अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे संबंधित पद, यानी पुलिस कांस्टेबल के रूप में रोजगार के लिए अनुपयुक्त थे।

6. यह दो उम्मीदवारों, शिव सिंह [एसएलपी (सी) 13282/2014] और प्रेम सिंह की ओर से पेश श्री सिंघल द्वारा तर्क दिया गया था।

चौधरी [एसएलपी (सी) 18396/2014] जिसे जांच समिति ने निपटाया

उनके मामलों के साथ एक निष्पक्ष तरीके से और तथ्यों की संपूर्णता की सराहना नहीं की। प्रतिवादी शिव सिंह के संबंध में, यह आग्रह किया गया था कि हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) में, आरोपों से आई. पी. सी. की धारा 353 के तहत आरोप सहित गंभीर अपराध हो सकते थे, वास्तव में बनाए गए आरोप इन अपराधों के संबंध में नहीं थे। अंततः, कथित पीड़ितों को प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं हुई

उम्मीदवार के साथ समझौता, जिसके कारण उनके द्वारा किए गए अपराधों में वृद्धि हुई। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रेम सिंह चौधरी/प्रतिवादी के मामले में भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि आपराधिक आरोप (यानी आई. पी. सी. की धाराओं के तहत अपराध करने के) या तो गंभीर थे या इसमें नैतिक अधमता शामिल थी। इस मामले में भी अभियुक्त/उम्मीदवार को दोषी नहीं ठहराया गया था और सूचना देने वाले के साथ समझौता किया गया था।

7. प्रत्यर्थी/उम्मीदवारों के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया कि आरोपों से जुड़े मामलों में

आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत अपराध करना, विशेष रूप से जहां

1 (2013) 7 एससीसी 685

2 (2016) 8 एससीसी 471 [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराधी ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि आचरण में नैतिक अधमता शामिल थी और न्यायालयों को इन वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में झगड़े और झगड़े आम बात हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुखबिरों की ओर से अतिशयोक्ति करने, तथ्यों को गलत साबित करने और अपराधियों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है।

8. प्रत्यर्थी दीपा की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

तोमर ने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि निचली अदालत द्वारा बताए गए तथ्यों को समग्र रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि उम्मीदवार और उसके पति जोगिंदर के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और इसलिए, उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर उसका अपहरण करने का आरोप लगाया गया था; वह लापता बताया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिस पर सक्षम क्षेत्राधिकार के संबंधित न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, उम्मीदवार को अपराधों से बरी कर दिया गया था। जाँच समिति द्वारा ऐसे न्यायालय के निष्कर्षों पर विधिवत विचार किया जाना था और उन्हें उचित महत्व दिया जाना था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जांच समिति ने अपने दिमाग को लागू नहीं किया और केवल लेबल के अनुसार चला, यानी उम्मीदवार दीपा तोमर को अनुपयुक्त ठहराने के लिए अपराध की गंभीरता-पूरी तरह से मनमाना।

परिणाम।

विश्लेषण और निष्कर्ष

9. स्पष्टता के लिए, एक सारणीबद्ध चार्ट, जो दर्शाता है

विभिन्न अपराधों, मुकदमों की प्रक्रिया, उनके परिणाम आदि के संबंध में प्रत्येक प्रतिवादी की भागीदारी नीचे दी गई हैः

टिप्पणियां

अपराध

एफ. आई. आर

केस नं.

एस.

का नाम

नहीं।

याचिकाकर्ता

उम्मीदवार

एसएलपी (सी.) नहीं।

एफ. आई. आर. सं. 283/07, संज्ञान

बरी कर दिया।

1

राज

13285/2014

दिनांकित

के तहत लिया गया

आदेश के अनुसार

कुमार

दिनांकित

14.10.2007 .

सेक. 147 ,

धाराओं के तहत

451 , 323 ,

22.05.2008
के तहत

143 , 451 , 323 ,

336 आईपीसी

336 , 382 आईपीसी

आरोप

थे
सिद्ध नहीं हुआ।

समझौता किया।
के तहत आरोप

धारा 451

और 323।

पुलिस आयुक्त v. राज कुमार [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एसएलपी (सी.) नहीं। एफ. आई. आर. नं.

संज्ञान

बरी कर

दिया।

शिव

आदेश

द्वारा

सिंह

13282/2014 |

410/2009

के तहत लिया गया

सेक. के तहत

दिनांकित

तिथि।

01.12.

2019 ;

अनुभाग

18.10.2009

धाराओं के तहत

323 , 341 ,

बरी कर

दिया।

323 , 341 , 325 ,

325 , 34 आईपीसी

धाराओं के

तहत

34 आईपीसी.

323 ,
341 ,
325 ,
34 आईपीसी
के आधार
पर
समझौता
दिनांकित
विलेख
01.12.
2019 .
एफ़. आई. आर. दिनांकित
एसएलपी (सी.) नहीं।
संज्ञान
दीपा।
द्वारा बरी
किया गया
के तहत लिया गया
दिनांकित
आदेश
26.05.2002
18397/2014
तोमर
धारा 364,
04.05.
2011
धाराओं के तहत
364 , 506 , 120
120 बी आई. पी. सी

(pg. 67- 106) .

बरी कर दिया।

आईपीसी

धाराओं के तहत

120 बी, 364 आई. पी. सी.

के रूप में अभियोजन

यह साबित करने के लिए कि शुल्क

उससे परे

सन्देह हो रहा है। इसलिए,

अदालत ने माना

कि

अभियुक्त के रूप में के लिए हकदार

का लाभ

सन्देह हो रहा है।

एसएलपी (सी.) नहीं। एफआइआर नं.

संज्ञान

प्रेम

द्वारा बरी

किया गया

सिंह

18396/2014

38/2007

के तहत

दिनांकित

आदेश

चौधरी

दिनांकित

अनुभाग

04.12.

2009

323 , 341 ,

14.02.2007

धाराओं के

तहत

धाराओं के तहत

325 , 34

323 ,

341 ,

143 , 341 , 323

आईपीसी

325 ,

34

आईपीसी

इसके आधार पर

आईपीसी

में से

समझौता

के साथ

सूचना देने

वाला।

10. स्थायी आदेश No.398/2010, जो एक के लिए प्रासंगिक है

इस मामले में निर्णायक निर्णय इस प्रकार हैः

" स्थायी आदेश सं। 398/2010 के लिए नीति

उम्मीदवारों के मामलों का निर्णय [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली में चयनित पुलिस आपराधिक रूप से शामिल

मामले (मुकदमों का सामना करना या अधिग्रहण)।

दिल्ली पुलिस में की गई भर्तियों के दौरान, कई मामले सामने आते हैं जहां उम्मीदवार आवेदन पत्र में आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता के तथ्य को छिपाते हैं।

प्रमाणन प्रपत्र इस उम्मीद में कि यह प्रकाश में नहीं आ सकता है

और भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में ही उनके द्वारा प्रकटीकरण उन्हें इसमें भाग लेने से रोक सकता है

विभिन्न भर्ती परीक्षण। इसके अलावा नियुक्ति यदि उसे बरी कर दिया गया है लेकिन सम्मानपूर्वक नहीं। एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए, दिल्ली पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी भर्तियों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगेः

1) . XXX

XXXXXX

2) . XXX

XXXXXX

3) . यदि किसी उम्मीदवार ने आपराधिक मामलों, शिकायत मामले, निवारक मामलों में अपनी भागीदारी और/या गिरफ्तारी का खुलासा किया था

कार्यवाही आदि और मामले की जांच या सुनवाई लंबित है, मामले के अंतिम निर्णय तक उम्मीदवारी को स्थगित रखा जाएगा। अदालत के फैसले के बाद, यदि उम्मीदवार को बरी या आरोपमुक्त कर दिया जाता है, तो मामले को विशेष पुलिस आयुक्त/प्रशासन, संयुक्त पुलिस आयुक्त/मुख्यालय और संयुक्त पुलिस आयुक्त वाली पी. एच. क्यू. की जांच समिति को भेजा जाएगा।

दिल्ली पुलिस में नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए पुलिस आयुक्त/सतर्कता।

4) यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र के साथ-साथ सत्यापन प्रपत्र में आपराधिक मामले, शिकायत मामले, निवारक कार्यवाही आदि में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया था, लेकिन अदालत द्वारा उसे बरी या आरोपमुक्त कर दिया गया था, तो उसका मामला दिल्ली पुलिस में नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए पी. एच. क्यू. की जांच समिति को भेजा जाएगा।

5) . XXX

XXXXXX

6) . ऐसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ किसी भी मामले में आरोप पत्र हो।

अदालत में आपराधिक मामला दायर किया गया है और आरोप गंभीर अपराधों या नैतिक अधमता, पुलिस आयुक्त बनाम की श्रेणी में आते हैं।

राज कुमार [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यद्यपि बाद में संदेह का लाभ देकर बरी या बरी कर दिया गया या गवाह अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिशोध के डर से मुकर गए हैं, उसे आम तौर पर सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। हालांकि, ऐसे सभी मामलों को सरकारी नौकरी के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए पी. एच. क्यू. की जांच समिति द्वारा आंका जाएगा। आपराधिक मामलों का विवरण जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो सकती है

कृपया अनुलग्नक 'ए' में पढ़ा जाए।

7) ऐसे मामले जिनमें एक उम्मीदवार को किसी भी आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा था जो नैतिक अधमता की श्रेणी में नहीं आता है और बाद में अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है और वह दोनों आवेदन पत्रों में भी इसके बारे में खुलासा करता है।

प्रमाणन प्रपत्र को जांच द्वारा आंका जाएगा

उसके लिए उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए समिति

सरकारी नौकरी।

8) XXX

XXXXXX

9) . यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ देकर छुट्टी दे दी जाती है तो यह भी नहीं होगा विभाग द्वारा उसकी उपयुक्तता के लिए प्रतिकूल रूप से देखा गया

सरकारी सेवा '।

11. उपरोक्त नीति का अनुलग्नक ए, जो नैतिक अधमता के खिलाफ अपराधों को संदर्भित करता है, नीचे दिया गया है:

" 1. आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120-बी, भारतीय दंड)

कोड)

2. राज्य के विरुद्ध अपराध (धारा 121-130,

भारतीय दंड संहिता)

3. सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध (धारा 131-134, भारतीय दंड संहिता)

4. सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध (धारा 153-ए)

& 153 - बी, भारतीय दंड संहिता)।

5. झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के खिलाफ अपराध (धारा 193-216 A, भारतीय दंड संहिता)
6. सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध

(धारा 231-263 A, भारतीय दंड संहिता)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. धर्म से संबंधित अपराध (धारा 295-297, भारतीय दंड संहिता)

8. मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध (धारा 302-304, 304 बी, 305-308,311-317,325-333,335,347,348,354,363-373,376-376-ए, 376-बी, 376-सी, 376-डी, 377 , भारतीय दंड संहिता)

9. संपत्ति के खिलाफ अपराध (धारा 379-462, भारतीय दंड संहिता)

10. दस्तावेज़ों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध (धारा 465-489, भारतीय दंड संहिता)

11. विवाह और दहेज से संबंधित अपराध निषेध अधिनियम (धारा 498-ए, भारतीय दंड संहिता) "

12. मेहर सिंह ने उल्लेख किया कि स्थायी आदेश का खंड 3,

जो जाँच समिति को संदर्भित करता है, उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। यह समिति उम्मीदवारों (जिन्हें पहले किसी अपराध के लिए फंसाया गया था, लेकिन जिनके खिलाफ किसी भी कारण से आरोप समाप्त कर दिए गए हैं) की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का आकलन करती है। खंड 6 में निर्धारित किया गया है कि जिन उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध या नैतिक अपराधों से जुड़े आरोप लगे हैं

अधमता और जिन्हें बाद में संदेह का लाभ देते हुए या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रतिशोध के डर से गवाहों के मुकर जाने के कारण बरी कर दिया जाता है

आम तौर पर सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचालित जांच समिति द्वारा विचार किया जाना है।

13. यह लागू स्थायी आदेश को पढ़ने से स्पष्ट होता है।

धारा 325-333; 363-373 और 379-462 के तहत अपराध खंड 6 की शरारत के दायरे में आएंगे। स्थायी आदेश के समग्र विश्लेषण पर, इस न्यायालय की राय है कि आपराधिक कार्यवाही में बरी या निर्वहन उम्मीदवार को यह तर्क देने में सक्षम नहीं बनाएगा कि -

अधिकारियों को उसे चुनने और नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस न्यायालय ने इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" जाँच समिति को किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार होगा यदि उसे लगता है कि बरी कर दिया गया है। यह नलिका में कुछ गंभीर दोष पर आधारित है

अभियोजन पक्ष का मामला या भौतिक गवाहों के पलटने का परिणाम है

शत्रुतापूर्ण। यह केवल जाँच के अनुभवी अधिकारी हैं।

समिति जो यह तय करने में सक्षम होगी कि क्या बरी किया गया है

या छुट्टी दिए गए उम्मीदवार के भविष्य में अधिक ताकत और जोश के साथ इसी तरह की गतिविधियों में लौटने की संभावना है, यदि नियुक्त किया जाता है

पुलिस बल में पद।

14. इस न्यायालय ने अतीत में कई मौकों पर ऐसे प्रश्नों पर विचार किया है जो समान हैं, यदि पूरी तरह से शामिल प्रश्नों के समान नहीं हैं वर्तमान मामले में, विभिन्न अपराधों के आरोपी के रूप में प्रस्तुत किसी आवेदक/उम्मीदवार को दोषमुक्त करने या बरी करने की स्थिति में, उसकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए एक निर्णायक कारक है। अतीत में कई निर्णय एक अंतर आकर्षित करते प्रतीत हुए थे

एक ओर अभियुक्त व्यक्तियों के "दोषमुक्त" होने और दूसरी ओर संदेह के लाभ के कारण दोषमुक्त या दोषमुक्त होने के बीच। इसी तरह, जहां उम्मीदवारों पर नैतिक अधमता से जुड़े गंभीर अपराधों के साथ-साथ बड़े परिणामों का आरोप लगाया गया था, उनकी जांच की गई। एक अन्य क्षेत्र जिसने इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, वह था लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने का प्रभाव। मामला तब गरमा गया जब इन सभी मुद्दों को तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक निर्णय के लिए भेजा गया। अवतार सिंह (उपरोक्त) मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा के बाद, जब सार्वजनिक प्राधिकरणों ने

ऐसे मामलों से निपटने के लिए कहा गया, अपने निष्कर्षों को दर्ज किया

निम्नलिखित तरीके से:

" 38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

चर्चा करते हुए, हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

38.1 एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि, बरी होने या गिरफ्तारी, या लंबित होने के बारे में दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले या बाद में हो, सही होनी चाहिए और इसका कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए। आवश्यक जानकारी।

38.2 सेवाओं की समाप्ति का आदेश पारित करते समय या

गलत जानकारी देने के लिए उम्मीदवारी रद्द करना,

नियोक्ता विशेष परिस्थितियों पर ध्यान दे सकता है

ऐसी जानकारी देते समय, यदि कोई मामला हो। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

15. इस संबंध में बाद के निर्णय भी हैं जिनमें

जोगिंदर सिंह बनाम में निर्णय को कम किया। केंद्र शासित प्रदेश

आंडीगढ़ और अन्य 3; केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासनओआरएस वी। प्रदीप कुमार और अनरा और अनिल भारद्वाज बनाम। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश 3. प्रत्येक ईएल में तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, मेहर सिंह (ऊपर) में इस यू. आर. टी. के फैसले के प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करना भी उपयोगी होगा, जहां इसे निम्नानुसार रखा गया थाः

" पुलिस बल एक अनुशासित बल है। समाज में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। लोग इसमें बहुत विश्वास और विश्वास रखते हैं। यह उस विश्वास के योग्य होना चाहिए। पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास अतुलनीय चरित्र और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इसमें फिट नहीं होगा।

श्रेणी। भले ही वह अपराधी के मामले में बरी या बरी हो जाए

मामला, कि बरी या निर्वहन आदेश होना होगा

यह देखने के लिए जाँच की गई कि क्या उसे मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि उसके अपराधों में शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है। इसलिए स्थायी सभापति ने यह कार्य सौंपा है।

जाँच तक इन मामलों में निर्णय लेने का समिति। जाँच समिति के निर्णय को अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो। हाल के दिनों में पुलिस बल की छवि खराब हुई है। पुलिस के मामले

शक्ति का दुरुपयोग करके गलत तरीके से व्यवहार करने वाले कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और चिंता का विषय हैं। पुलिस बल की प्रतिष्ठा को झटका लगा है। ऐसी स्थिति में, हम दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई जांच समिति जैसे तंत्र के महत्व और प्रभाव को कम नहीं करना चाहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन व्यक्तियों के पुलिस बल की विश्वसनीयता को कम करने की संभावना है, वे पुलिस बल में प्रवेश न करें। साथ ही, जाँच समिति को अपने ऊपर रखे गए विश्वास के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

हाथ। '

16. अब, प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, एसएलपी (सी) 13285/2014 (राज) से उत्पन्न सिविल अपील में दीदात

015) 2 एससीसी 377 018) 1 एस. सी. सी. 797

020) एस. सी. सी. ऑनलाइन (एससी) 832 पुलिस आयुक्त बनाम।

कुमार) पर धारा 143/323/के तहत अपराध करने का आरोप है।

336/451 आई. पी. सी. अन्य व्यक्तियों के साथ। उम्मीदवार पर आरोप है कि उसने अन्य लोगों के साथ लाठी और जेलियों से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर में घुसकर शिकायतकर्ता के भाई की बहू के गहने छीन लिए। आरोपों के अनुसार, हाथापाई हुई थी जिसके परिणामस्वरूप चोटें आईं। जाहिरा तौर पर, उम्मीदवार द्वारा आपराधिक आरोपों के अस्तित्व का खुलासा किया गया था जिसके कारण मामला खारिज कर दिया गया था। जाँच समिति द्वारा जारी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के आदेश में कहा गया है कि उम्मीदवार का स्पष्टीकरण उसके परिवार और सूचना देने वाले के बीच पूर्व पारिवारिक विवाद के संबंध में था। आदेश में कहा गया है कि अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया और संज्ञान लिया गया। बाद में, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, दोनों पक्षों ने मामले से समझौता किया ताकि इसे अदालत की मंजूरी से आई. पी. सी. की धारा 451/323 के तहत जोड़ा जा सके और यह कि

उम्मीदवार को बाद में धारा 147/336 के तहत आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत के अभाव में 22.05.2008 के आदेश द्वारा बरी कर दिया गया था।

17. विवादित आदेश इस आधार पर आगे बढ़ता है कि शिकायतकर्ता को एक साधारण चोट से पीड़ित पाया गया था। इसने यह भी माना कि घटना के समय राज कुमार की आयु 20 वर्ष थी। डिवीजन बेंच की राय थी कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, स्क्रीनिंग कमेटी ने यांत्रिक तरीके से इस कार्य से संपर्क किया और राज कुमार की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया।

18. इस न्यायालय की राय में, राज कुमार के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष अस्थिर हैं। जाँच समिति चली गई

19. एक अन्य मामले में प्रतिवादी शिव सिंह पर आईपीसी की धारा 323,341,325,34 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। 6 दिनांक 22.03.2011 [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12.11.2009 पर निचली अदालत के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया था। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि अपराध प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ बनाए गए थे प्रतिवादी शिव सिंह सहित अभियुक्त व्यक्ति। हालांकि, बाद में आरोपी और उसके बीच समझौता हो गया।

शिकायतकर्ता, और निचली अदालत द्वारा 01.12.2009 पर रचना का आदेश जारी किया गया था। जाँच समिति ने आरोप पत्र और निचली अदालत के आदेश पर विचार किया, और इसमें शामिल अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह विचार था कि उम्मीदवार उपयुक्त नहीं था, क्योंकि कानून के डर के बिना इस तरह के व्यवहार में शामिल होने की उसकी प्रवृत्ति थी। उच्च न्यायालय ने जाँच समिति के आदेश को शक्ति के एक यांत्रिक प्रयोग के रूप में दोष दिया, और तर्क दिया कि उम्मीदवार के खिलाफ एक महिला के शील पर हमला करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया था और चोरी का आरोप अप्रमाणित था। अदालत की यह भी राय थी कि उम्मीदवार युवा था।

20. यह अदालत विवादित आदेश से सहमत होने में असमर्थ है। यहाँ, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर किया गया था,

धारा 325 सहित विभिन्न अपराध। इसके बाद प्रत्यर्थी उम्मीदवार ने सूचना देने वालों से संपर्क किया और विवाद से समझौता किया। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, इस बात पर विचार करने में कि क्या साक्ष्य मौजूद है (आपराधिक आरोपों के समर्थन में), इसकी विश्वसनीयता, विशेष रूप से आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद, और उन सामग्रियों की सराहना के आधार पर, सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड और न्यायिक समीक्षा में साक्ष्य के लाभ के बिना, बनाए नहीं रखा जा सकता है।

21. प्रेम सिंह चौधरी के मामले में (एसएलपी (सी) नंबर 4304/2013 में प्रतिवादी) जिले के एक पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अलवर ने आरोप लगाया कि उसने आई. पी. सी. की धारा 143/323/341 के तहत दंडनीय अपराध किए। शिकायतकर्ता ने उनका और चार अन्य लोगों का नाम लिया था।

मुकेश ने एक गैरकानूनी सभा बनाने के लिए; उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लाठी और जेली (एक खेत का उपकरण) ले जा रहे थे और आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला किया। मामले से समझौता किया गया था; परिणामस्वरूप, अदालत ने बरी होने का मामला दर्ज किया। जाँच समिति ने इन तथ्यों पर ध्यान दिया; पहले जारी नियुक्ति आदेश को परिणामस्वरूप वापस ले लिया गया। कैट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अभियुक्त पर आई. पी. सी. की धारा 325 के तहत आरोप नहीं लगाया गया था; कि वह युवा था, और उसकी आयु 22 वर्ष थी; कि सूचना देने वाले को गंभीर चोटें नहीं आई थीं। यह ध्यान में रखने के बाद कि उम्मीदवार पर जिन अपराधों का आरोप लगाया गया था, उनमें से एक धारा 325 थी, उच्च न्यायालय ने कहा कि "पुलिस आयुक्त बनाम की ओर से कोई भी सामग्री या सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था।

राज कुमार [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह पता लगाया जा सकता है कि शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आईं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस के समक्ष सामग्री के आलोक में, सूचना देने वाले ने घटना का एक अतिरंजित विवरण दिया था, जिसे जांच समिति ने यंत्रवत रूप से खारिज कर दिया था।

22. एक बार फिर, प्रेम सिंह चौधरी के मामले में, इस अदालत की राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा सामग्री की जांच, ऐसा था जैसे वह जांच समिति के फैसले पर अपील में बैठा हो। उस निकाय को उसकी उपयुक्तता पर विचार करने के संदर्भ में उम्मीदवार के समग्र रिकॉर्ड का लाभ मिला। इसके निष्कर्षों को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था कि यह दिमाग के यांत्रिक अनुप्रयोग को दर्शाता है, या यह कि सामग्री किसी गंभीर या गंभीर अपराध में संलिप्तता नहीं दिखाती है।

23. अपीलों के वर्तमान बैच में दीपा तोमर अंतिम उम्मीदवार हैं। सीएम नंबर 198/2003 में अपने पिता के साथ उन पर भी आरोप लगाया गया था।

24. जाँच समिति के फैसले को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि यह घटना 2001 की थी; जितेंद्र के पिता 2002 में शिकायत की और उम्मीदवार और उसके पिता के खिलाफ अपना संदेह व्यक्त किया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहाः

" सार्थक रूप से पढ़े जाने पर, जितेंद्र के परिवार के सदस्यों की गवाही इस तथ्य का संकेत देती है कि दीपा और जितेंद्र के बीच तनावपूर्ण संबंध नहीं थे, बल्कि इसके कारण थे

अपने ससुराल में समस्याओं के कारण दीपा को अपने माता-पिता के घर जाना पड़ता था और जितेंद्र चुपके से दीपा के पास जाता था या उसके माता-पिता को संदेह होता था। अगर ऐसा होता तो यह खड़ा नहीं होता।

दीपा और उसके माता-पिता के लिए कोई तर्क या कारण

जितेंद्र का अपहरण करने और उसे गायब करने की साजिश रची।

अफसोस की बात है कि जांच समिति ने अपराध के लेबल का पालन किया है न कि उन तथ्यों का जिनके आधार पर दीपा और उनके पिता को बरी किया गया था। जाँच समिति ने भी

इस तथ्य की अनदेखी की कि [2021] 6 एस. सी. आर. के तहत दर्ज की गई अपनी शिकायत में।

धारा 498-ए/406 आई. पी. सी. दीपा ने कोई आरोप नहीं लगाया है।

अपने पति के खिलाफ।

25. दीपा तोमर के मामले में, गहन तथ्यात्मक जांच जिसके कारण विवादित आदेश ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्माण समिति स्थायी नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसकी अनुमति नहीं है। यह जाँच समिति से स्पष्ट है

आदेश, कि वह निर्णय के साथ-साथ निचली अदालत के समक्ष सामग्री से अवगत था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवारी रद्द होने से पहले, दीपा को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने इसका विधिवत जवाब दिया। समिति को अपने निष्कर्ष निकालने पर उस पर विचार करने के साथ-साथ उसके समग्र रिकॉर्ड पर विचार करने का लाभ मिला। उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य की सराहना, और इस अदालत की राय में साक्ष्य की गहन जांच, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर दीपा को अपराध में फंसाया नहीं जा सकता था, न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के अतिक्रमण का एक अभ्यास है।

नियोक्ता, एक उम्मीदवार को अनुपयुक्त के रूप में क्यों बाहर रखा गया है, इस पर गहन जांच अदालत के फैसले को अतिक्रमण के आरोप में संदिग्ध बनाती है नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने की कार्यकारी शक्ति में। इस अदालत ने एम. वी. थिमैया बनाम में इस पर जोर दिया था। संघ लोक सेवा आयोग 'निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 21. अब, उम्मीदवारों के चयन के संबंध में सवाल आता है। आम तौर पर, चयन समिति की सिफारिशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है सिवाय इसके कि

दुर्भावनापूर्ण आधार या वैधानिक नियमों का गंभीर उल्लंघन। न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकते हैं

अपील न्यायालय की तरह चयन समिति की सिफारिशों की जांच करें। यह विवेकाधिकार केवल चयन समिति को दिया गया है और अदालतें शायद ही कभी उम्मीदवारों के चयन की जांच करने के लिए अपील की अदालत के रूप में बैठती हैं और न ही प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करना और अपनी राय दर्ज करना न्यायालय का कार्य है।

XXXXXXXXXXXXXXXXX

30. हम यह समझने में विफल हैं कि न्यायाधिकरण कैसे बैठ सकता है।

अपीलीय प्राधिकरण व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए बुलाएगा और

इस कार्य को करने के लिए चयन समिति का गठन करें। यह शक्ति न्यायाधिकरण को नहीं दी गई है और यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चयन समिति का मूल्यांकन न्यायाधिकरण या अदालतों के समक्ष अपील के अधीन नहीं है। अपना मूल्यांकन करने के लिए चयन समिति को श्रेय देना पड़ता है और यह अपील के अधीन नहीं है। उम्मीदवारों के ए. सी. आर. के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, एक को बहुत अच्छा और दूसरे को अच्छा माना जा सकता है। यदि इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है तो वस्तुतः यह होगा कि न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने शुरू कर दिया है

चयन समिति के रूप में बैठना या अपीलीय के रूप में कार्य करना चयन पर अधिकार '।

27. दलपत आबासाहेब सोलुंके बनाम डॉ. बी. एस. महाजन में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

" 12. ..... अपील सुनना न्यायालय का कार्य नहीं है।

चयन समितियों के निर्णयों पर और

उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यताओं की जांच करें। कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए योग्य है या नहीं, यह विधिवत गठित चयन समिति द्वारा तय किया जाना है जिसके पास इस विषय पर विशेषज्ञता है। अदालत के पास ऐसा कोई नहीं है। विशेषज्ञता। ..... वर्तमान मामले में विश्वविद्यालय ने संबंधित कानूनों के उचित अनुपालन में समिति का गठन किया था। समिति में विशेषज्ञ शामिल थे और इसने अपने समक्ष सभी प्रासंगिक सामग्री को देखने के बाद उम्मीदवारों का चयन किया। इस प्रकार किए गए चयन पर अपील करने में और

न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किए गए उम्मीदवारों के तथाकथित तुलनात्मक गुणों के आधार पर इसे अलग रखने में, उच्च न्यायालय ने

न्यायालय गलत हुआ और अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया। 28. पुनः, संघ लोक सेवा आयोग बनाम। एम. साथिया

यह दोहराया गया कि

" यह प्रश्न कि प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में श्रेणियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन करने में कौन से मानदंड लागू होते हैं, विशेष रूप से द्वारा निर्धारित किया जाना है

(घ) 1 एस. सी. सी. 305

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चयन समिति। चूँकि कानून के अनुसार चयन करने का अधिकार क्षेत्र चयन समिति में निहित है और चूंकि चयन समिति के सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए अदालतों के लिए आम तौर पर इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

उन मामलों को छोड़कर जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया है

या तो पूर्वाग्रह, दुर्भावना के आधार पर दूषित या मनमानी। यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह चयन समिति के निर्णयों पर अपील के रूप में मामलों की सुनवाई करे और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता की जांच करे। यह प्रश्न कि क्या कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, विधिवत गठित विशेषज्ञ निकाय यानी चयन समिति द्वारा तय किया जाना है।

29. सार्वजनिक सेवा-किसी भी अन्य की तरह, पूर्व-मानती है कि राज्य के नियोक्ता के पास अक्षांश या विकल्प का एक तत्व है कि उसे किसके साथ काम करना चाहिए।

तरीके से। हालाँकि, उपयुक्तता पूरी तरह से अलग है; सार्वजनिक नियोक्ता की स्वायत्तता या पसंद सबसे बड़ी है, जब तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो अवैध, अनुचित, या प्रामाणिकता की कमी है। 30. उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, युवाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में अपनी टिप्पणियों से स्पष्ट है, व्यवहार की सामान्य स्वीकार्यता पर संकेत देता है जिसमें छोटे अपराध या दुराचार शामिल हैं। विवादित आदेश एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देता है, कि युवाओं की उम्र और ग्रामीण परिवेश को देखते हुए इस तरह के दुराचार को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस अदालत की राय है कि इस तरह के सामान्यीकरण, जिससे अपराधी के आचरण को माफ किया जाता है, न्यायिक फैसले में प्रवेश नहीं करना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। कुछ प्रकार के अपराध, जैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़, या अतिचार और पिटाई, हमला, चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना, (हथियारों के उपयोग के साथ या बिना), ग्रामीण परिवेश में, जाति या पदानुक्रम-आधारित व्यवहार का भी संकेत हो सकते हैं। प्रत्येक मामले की जांच संबंधित सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा, अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से की जानी है-विशेष रूप से, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के कर्तव्य के तहत हैं, क्योंकि जनता में विश्वास पैदा करने की उनकी क्षमता समाज की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है।

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

31. पूर्वगामी कारणों से, यह न्यायालय एतद्वारा एक सामान्य विवादित निर्णय और कैट के आदेशों को खारिज करता है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा जारी आदेश, प्रत्यर्थी उम्मीदवारों की नियुक्ति को अस्वीकार करना। अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है, बिना किसी आदेश के

लागतें।

बिभूति भूषण बोस